लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

फोन नम्बर–0771.2331385,Email Id - cg.dpi.dir@gmail.com

पत्र क्र. / एम.आई.एस. / N-123/**433** नवा रायपुर दिनांक **17.06.2026**

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   छत्तीसगढ़।
3. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी,
   छत्तीसगढ़।

विषयः– VSK app एवं आधार सक्षम बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति के संबंध में।

संदर्भः–

1. संचालनालयीन पत्र क्र. / एम.आई.एस. / 45014/33/2026/425 दिनांक 27.05..2026।
2. संचालनालयीन पत्र क्र. / एम.आई.एस. / N-123/428 दिनांक 12.06.2026।
3. संचालनालयीन पत्र क्र. / एम.आई.एस. / N-123/429 दिनांक 12.06.2026।

–––000–––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि 16 जून से शालाओं में कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारी / कर्मचारियों की उपस्थिति विद्या समीक्षा केन्द्र(VSK) के माध्यम तथा संभागीय, जिला, विकासखंड स्तरीय कार्यालयों, डाईट, बी.टी.आई. एवं शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में आधार सक्षम बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से की जावेगी।

संदर्भित पत्र क्र. 02 के माध्यम से विभागांतर्गत कार्यरत समस्त कर्मचारियों के सेवा विवरण का सेवा पुस्तिका से मिलान करते हुये, पोर्टल में अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु VSK पोर्टल की जानकारी विभागीय पोर्टल से ही ली जा रही है। पुनः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने अधीनस्थ संस्थाओं में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की जानकारी पोर्टल पर अद्यतन करे।

संदर्भित पत्र क्र 03 के माध्यम से में आधार सक्षम बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली हेतु संभाग, जिला एव विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारियों की जानकारी चाही गई थी। परन्तु अद्यपर्यन्त तक सभी कार्यालयों की जानकारी अप्राप्त है। अथवा प्रेषित की गयी जानकारी .त्रुटिपूर्ण है। आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि कार्यालयीन कर्मचारियों के नोडल की जानकारी आनबोर्डिंग हेतु संलग्न प्रपत्र में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।

अतःउपरोक्तानुसार VSK app एवं आधार सक्षम बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से विभाग अंतर्गत कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारी / कर्मचारियों की

civilindia.in

आनलाइन उपस्थिति सुनिश्चत करे। ऑनलाइन उपस्थिति के अभाव में जून माह का वेतन भुगतान संभव नही हो पायेगा। जिसके लिये जिम्मेदार पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

civilindia.in